

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्र. प. 16 (12)/एम.ई. गुप-1/2012-पा.

दिनांक:

15 APR 2014

आदेश

माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा , स्वास्थ्य एवम चिकित्सा शिक्षा द्वारा आयोजित प्रिंसीपल फोरम की समीक्षा बैठक 6/3/2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार शैक्षणिक कार्यक्रमों एवम चिकित्सा सेवाओं में गुणवत्ता एवम् स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हेतु आवश्यक तकनीकी सुझावों हेतु निम्न अधिकारियों की सलाहकारी समिति का गठन किया जाता है:

1. मा.कुलपति महोदय राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय -अध्यक्ष
2. डा.एस.पी.सिंह - संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा -सदस्य सचिव
3. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज -सदस्य

उक्त समिति निम्नलिखित बिन्दुओं पर पृथक पृथक रिपोर्ट राज्य सरकार को 15 दिवस में प्रेषित करेगी: :

- a. Explore possibilities of academic collaboration of Government Medical Colleges with Universities/Medical Institutions/hospitals of International repute abroad and draw detailed action-plan for implementation;
- b. Framing of guidelines regarding Initiation and conduct of Certificate Courses for doctors in skill development in clinical management especially looking in to the needs of the rural areas;
- c. Improvement in Internship Training Programme;
- d. Examine the proposals of grant of weightage to the marks obtained in MBBS for PG courses, and
- e. Examine and suggest norms for equivalence in clinical experience and teaching for specialists in state services for posting them as medical teachers.

आज्ञा से,

६०१-
(धन्नालाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी सूचनार्थः

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार.
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवम स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार.
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार.
4. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर
5. उप-शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा
6. अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा
7. प्रधानाचार्य एवम नियंत्रक मेडिकल कालेज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
9. रक्षित पत्रावली/श्री तिवारी वेब साइट हेतु


विशेषाधिकारी (चि.शि.)